प्रेस नोट **30/01/2024**

जनपद मऊ यूपी–112 में नियुक्त पुलिसकर्मियों की तत्परता ने बचाई एक अनमोल जिंदगी, पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा सम्मानित करने की घोषणा की गई–

मऊ। दिनांक 28.01.2024 को सायंकाल करीब 05:45 बजे यूपी 112 के माध्यम से कालर द्वारा सूचना दी गई कि उसका भाई शुभम सिंह पुत्र कमलेश सिंह निवासी अइलख थाना हलथरपुर शराब पीकर घर आकर अपने पिता से विवाद कर रहा था, जिस पर तत्काल पीआरबी 2283 जैसे ही मौके पर पहुंचे तो उक्त शुभम सिंह छत पर चढ़कर गले में फंदा लगाकर झूल गया था, पुलिस बल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शुभम सिंह को उतार कर अस्पताल दाखिल कराया गया शुभम सिंह 2 घन्टे में सकुशल घर आ गया किसी भी पक्ष द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है शांति व्यवस्था की दृष्टिगत 107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त पीआरवी में नियुक्त पुलिसकर्मियों मुख्य आरक्षी महेन्द्र सिंह यादव, आरक्षी शिवपाल सिंह व चालक (होमगार्ड) भानू प्रताप सिंह को पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत चोरी मामले में दोषसिद्ध 05 अभियुक्त 07–07 वर्ष के कारावास व ₹7000–7000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय सिविल जज (सी0डी0) एफ0टी0सी0 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 29–01–2024 को, मु0अ0सं0 411/2019 धारा 457]380]411 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजू वनवासी पुत्र सुक्खू वनवासी, सुक्खू वनवासी पुत्र मथुरा, टिर्रु वनवासी पुत्र काशी वनवासी निवासीगण पक्जोपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली, मनोज वनवासी पुत्र रामराज वनवासी निवासी दईपुर रामपुर थाना बहरीयावाद जनपद गाजीपुर, दीपक वनवासी पुत्र मुल्लु वनवासी निवासी नेहालपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर को कारित अपराध के लिए सात–सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹7000–7000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

जय हिंद सर,

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय सिविल जज (सी0डी0) एफ0टी0सी0 जनपद मऊ द्वारा दिनांक 29–01–2024 को, मु0अ0सं0 411/2019 धारा 457]380]411 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण राजू वनवासी पुत्र सुक्खू वनवासी, सुक्खू वनवासी पुत्र मथुरा, टिर्रु वनवासी पुत्र काशी वनवासी निवासीगण पक्जोपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली, मनोज वनवासी पुत्र रामराज वनवासी निवासी दईपुर रामपुर थाना बहरीयावाद जनपद

गाजीपुर, दीपक वनवासी पुत्र मुल्लु वनवासी निवासी नेहालपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर को 07–07 वर्ष के कारावास व ₹7000–7000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

Regards

Avinash Pandey

Sp Mau